भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. /निगरानी/भू–राजस्व/ग्वालियर/2018

निगरानी- 5798/2018/ग्वालियर/भू-रा

श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 22.9.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-10-18 नियत।

मार्क ऑफ कोर्ट 22.9.18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

22/9/18

(1) श्रीमती सविता कुलदीप पत्नी श्री रमेशकुमार कुलदीप निवासी संभाजीकॉलोनी नं–2 लाला का बाजार लश्कर ग्वा0

श्री चंचल कुमार वर्मा पुत्र श्री पूरनमल वर्मा निवासी मेंहदीवाले सयैद के सामने गोल पहाडियॉ लश्कर ग्वा0म0प्र0 ...प्रार्थीगण

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त बहोड़ापुर तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 ....प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत्त बहोड़ापुर तहसील ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1/2014–15 अ–68 में पारित आदेश ऑर्डर शीट दिनांकी 30.04.2016 में निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थीगणों के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम बहोड़ापुर तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित सर्वे कमांक 180 मिन–2, 181, 184, 185, 186 मिन, 186 मिन–2, 187, 188, 189 मिन–1, एवं 189 मिन–2, है उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर अधिपत्यधारी है प्रार्थीगणों ने उक्त भूमि को रजि0विकयपत्र के द्वारा कय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है और तभी से प्रार्थीगण उक्त भमि पर काबिज होकर अधिपत्यधारी है उक्त भूमि का विधिवत नजूले विभाग से नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के यहॉ से विधिवत डायवर्सन आदेश पारित किया गया है और उक्त भूमि नगर पालिका निगम ग्वालियर में प्रार्थीगणों के नाम से दर्ज है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगणों को राजस्व निरीक्षक द्वारा दिये गये एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत शासकीय भूमि पर अवैध अतिकमण मानकर सूचना पत्र जारी किया गया था प्रार्थीगणों ने न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की थी कि प्रार्थीगण शासकीय सर्वे कमांक 190, 191 पर कोई अवैध कब्जा एवं अतिकमण नहीं किया है प्रार्थीगण अपने भूमि स्वामी स्वत्व की

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5798/2018/ग्वालियर/भू.रा. जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार के न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 11.03.2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो। **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	